

पत्रांक-9/सै0वेगूसराय-07/2024-.....495(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

ई-मेल

पटना, दिनांक-06.03.26

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सैरातों में शव वाहनों को पार्किंग शुल्क मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-2727(9), दिनांक-23.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जन कल्याण संवाद एवं सात निश्चय-3 के अन्तर्गत Ease of Living के तहत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सैरातों में शव वाहनों का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के वाहनों से पार्किंग शुल्क तभी वसूल किया जायेगा जब वाहन पार्किंग क्षेत्र में लगाया गया हो।

अतएव तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासमाजन

(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक-9/सै0वेगूसराय-07/2024- 495 (9)/रा0, पटना दिनांक-06.03.26

प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार एवं सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

सेवा में,

समाहर्ता,
बेगूसराय।

:-मेल

पटना-15, दिनांक-.....23/2/25

विषय:-

सिमरिया घाट सैरात में वाहन पड़ाव का प्रस्तावित दर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-1117/रा0, दिनांक-18.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट सैरात में वाहन पड़ाव हेतु वाहनों से वसूल की जाने वाली राशि की दर संबंधी आपके प्रस्ताव की सरकार स्तर पर हुई समीक्षोपरांत वाहनों से वसूले जाने वाले राशि का दर निर्धारण निम्नवत् विनिश्चित कर संसूचित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	वाहनो से वसूले जाने वाले राशि का निर्धारित दर
1	बड़ी/मध्यम वाहन (बस)	200/- (दो सौ रुपये)
2	छोटी वाहन (चार चक्का)	50/- (पचास रुपये)
3	ऑटो/टेम्पू (तीन पहिया)	20/- (बीस रुपये)
4	ई-रिक्शा	20/- (बीस रुपये)
5	शव हेतु वाहन	निःशुल्क

अतएव निदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(मोना झा) 23/2/25

उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक:-9/सै0बेगूसराय-07/2024-.....23/2/25.....(9)/रा0 दिनांक.....23/2/25.....

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा) 23/2/25

उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।